न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 04/2023

माया पत्नी ओमप्रकाश उर्फ मेघश्याम जाति बलाई निवासी ग्राम ऐंचवाडा तहसील कामाँ

प्रार्थीया

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश बुन्देला वकील प्रार्थीया

दिनांक :– 15/03/2024

निर्णय

प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि हाल खसरा नम्बर 1783/0.42 जिसका साविक खसरा नम्बर 876/0.42 हैक्टर बांके ग्राम कठौल तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी साविक खसरा नम्बर 876/0.42 को प्रार्थीया ने जरिये वयनामा दिनांक 23/01/2009 को शेरचन्द पुत्र रंगराम, गुल्लुराम पुत्र शेरचन्द जाति बाजीगर निवासी कठौल से खरीद किया था। जिसके आधार पर प्रार्थीया के नाम दाखिल खारिज संख्या 3535 दर्ज हुआ । उसी के आधार पर जमाबन्दी किता की गई। इससे पूर्व राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेतागण के नाम खातेदारी का इन्द्राज था विक्रेतागण से पूर्व उक्त आराजी की खातेदार मु0 फजरी बेबा अशरफ जाति मेव निवासी कठौल थी। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर के खातेदार काश्तकार पूर्व के खातेदार तथा सन् 2009 वक्त बयनामा लगातार प्रार्थीया का ही कब्जा काश्त रिकॉर्डेड खातेदार के रूप में चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियो/अधिकारियो के द्वारा नई आधार जमाबन्दी सम्वत 2074 लगायत 2074 में भी प्रार्थीया का नाम खातेदार काश्तकार नये खसरा नम्बर 1783/0.42 के बाबत सही दर्ज किया गया लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा जमाबन्दी सम्वत 2075–78 बनाते समय प्रार्थीया के उक्त खसरा नम्बर 1783 को राज्य सरकार के खाता संख्या 1 में गलत दर्ज कर बहुत बडी त्रुटि कर दी । इस प्रकार प्रार्थीया उक्त त्रुटि को सही कराने के बाबत अप्रार्थी संख्या 1 से कहा तो उक्त त्रुटि को सही करने में असमर्थता जाहिर की और सक्षम न्यायालय में जाने की बात कही । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड व मौका कब्जा के मुताबिक

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट मंगवाकर हाल जमाबन्दी में हो रही त्रुटि को सही कराने की आज्ञा पारित करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब/मौका रिपोर्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 876/0.42, किस्म व कदीम सन् 1992 में सिवायचक मकबूजा सरकार दर्ज था जिसका आवंटन 07/05/1992 को फजरी बेबा अशरफ जाति मेव साकिन कठौल गैर खातेदार को हुआ था। जरिये नामान्तकरण संख्या 1900 दिनांक 22/07/1992 से फजरी बेबा अशरफ का गैर खातेदारी अमल हुआ था इसके बाद नामान्तकरण संख्या 1961 दिनांक 23/09/1992 से फजरी बेबा अशरफ दर्ज रिकॉर्ड हुई थी इसके बाद फजरी बेबा अशरफ साकिन कठौल ने उक्त सालिम रकबा 0.42 साविक खसरा नम्बर 876 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 06/01/93 को शेरचन्द पुत्र रंगूराम व गुल्लाराम पुत्र शेरचन्द जाति बाजीगर साकिन कठौल को बेचान कर दिया था जिसका अमल नामान्तकरण संख्या 2004 दिनांक 15/09/1993 से राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हुआ था वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23/01/2009 से साविक खसरा नम्बर 876/0.42 हैक्टर को विक्रेता शेरचन्द पुत्र रंगूराम व गुल्लाराम पुत्र शेरचन्द से खरीद किया था। जिसका अमल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में नामान्तकरण संख्या 3535 दिनांक 06/11/2009 से हुआ था। साविक खसरा नम्बर 876/0.42 का नये बन्दोबस्त से हाल खसरा नम्बर 1783/0.42 बना है जो हाल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 सिवायचक मकबूजा सरकार दर्ज रिकॉर्ड है। यह भू–प्रबन्धक कार्मिकों की भूल या लापरवाही से हुआ है जिसकी शुद्धि एलआर एक्ट की धारा 136 के दायरे में माननीय उपखण्ड अधिकारी जी के अधिकार क्षेत्र में आती है। सबूत रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23/01/2009 व नामान्तकरण संख्या 1900, 1961, 2004 व 3535 बांके ग्राम कठौल जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 के आधार पर उक्त साविक खसरा नम्बर 876/0.42 हाल खसरा नम्बर 1783/0.42 बांके ग्राम कठौल को वादी माया पत्नी ओमप्रकाश उर्फ मेघश्याम जाति बलाई साकिन ऐंचवाडा तहसील कामाँ खातेदार के नाम दर्ज करना उचित रहेगा।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया । वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब /मौका रिपोर्ट तहसीलदार का गहनता से अध्ययन किया । प्रार्थीया द्वारा आवेदन में जाहिर किया है कि गत खसरा नम्बर 876/0.42 हैक्टर बांके ग्राम कठौल तहसील पहाडी को जरिये बयनामा शेरचन्द पुत्र रंगूराम व गुल्लूराम पुत्र शेरचन्द जाति बाजीगर निवासी कठौल से खरीद किया था तथा बयनामा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 3535 दर्ज होकर जमाबन्दी में

Scanned with OKEN Scanner

अमल हो गया था लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग ने गत खसरा नम्बर 876 से बने हाल खसरा नम्बर 1783/0.42 है को राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज कर प्रार्थीया के नाम का अंकन नहीं किया है। जो किया जावे ।

हाल खसरा नम्बर 1783 का रकबा 0.51 हैक्टर जो गत खसरा नम्बर 876/0.42 व 879/0.09 से बना है। प्रार्थीया द्वारा खसरा नम्बर 876 रकबा 0.42 हैक्टर जरिये बयनामा खरीद किया है तथा गत जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 में प्रार्थीया का नाम दर्ज है तथा वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित कराने की अधिकारी है। अप्रार्थी तहसीलदार पहाडी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में गत खसरा नम्बर 876/0.42 हैक्टर को जरिये बयनामा प्रार्थीया द्वारा खरीद करने एवं मौके पर प्रार्थीया का कब्जा होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है । आराजी खसरा नम्बर 1783/0.51 हैक्टर में से रकबा 0.42 हैक्टर पर प्रार्थीया का नाम दर्ज कर शेष रकबा 0.09 बदस्तूर सिवायक दर्ज किया जाना उचित है। उक्तानुसार प्रार्थीया का नाम दर्ज किया जावें। निर्णय प्रति तहसीलदार को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 15/03/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग).

Scanned with OKEN Scanner